एस०टी०संख्याः 103/2024
सरकार बनाम कपिल कसाना आदि
धारा 147,148,149,302,307,404,120B भा०द०सं०
व धारा 7 क्रि०लॉ०एमें०एक्ट
थाना टीलामोड़,गाजियाबाद।

10-01-2025

1- पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2- अभियुक्त किंसू उर्फ अमूल की ओर से प्रार्थनापत्र 20ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि अभियुक्त को उक्त केस में गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठा फंसाया गया है और विवेचक के द्वारा गलत तथ्यो व साक्ष्य के अभाव में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं हैं। अभियुक्त बतायी गयी घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। वादी मुकदमा व मृतक से अभियुक्त व अभियुक्त के परिजन से किसी प्रकार की लडाई झगडा रंजिश नहीं रही थी। अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस द्वारा थाने पर दो दिन तक बैठाकर पूछताछ की गयी थी किन्तु अभियुक्त के विरूद्व विवेचक को कोई साक्ष्य नहीं मिला फिर अनुचित मांग पूरी न होने के कारण उसे झूठा फंसा दियाउ गया है। वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को दिये गये बयान दिनांक 23-10-2023 व मजीद बयान दिनांक 18-12-2023 में अभियुक्त का घटना में शामिल होने का कोई कथन नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा दिनांक 17-11-2023 को श्रीमती सुनीता जो वादी की पत्नी हैं, का बयान लगभग एक माह पश्चात दर्ज किया हैं, सुनीता को घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया हैं, ने अपने बयानो में अभियुक्त का घटना में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई कथन नहीं किया है। विवेचक द्वारा दिनांक 17-11-2023 को मृतक की पत्नी करूणा उर्फ कुंती का बयान लगभग एक माह पश्चात अंकित किया गया था तथा विवेचक द्वारा विवेचना में करूणा उर्फ कुंती को घटना स्थन पर घटना के समय उपस्थित होना दर्शाया हैं, किन्तु करूणा उर्फ कुंती के बयानो में कहीं भी अभियुक्त के विरूद्व घटना स्थल पर उपस्थित होने का कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। किसी सह अभियुक्तगण के द्वारा भी विवेचक को अभियुक्त के घटना में शामिल होने का कथन नहीं किया है। उपरोक्त अपराध में विवेचक के द्वारा अभियुक्त व अभियुक्त के गांव के कई निर्दोष बच्चो को जबरदस्ती फर्जी तरीके से जेल भेजने के कराण वादी मुकदमा द्वारा उच्चाधिकारियो को शिकायत की गयी जिस कारण उक्त अपराध की विवेचना थाना टीलामोड़ से थाना इन्दिरापुरम पर ट्रांसफर की गयी। विवेचक द्वारा सह अभियुक्त कपिल प्रधान के इकबालिया बयान में सचिन व प्रवीन द्वारा मृतक की रेकी कर सचिन व प्रवीन द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर उक्त घटना को घटित करने का कथन अंकित किया गया है। विवेचक द्वारा सह अभियुक्तगण की कॉल डिटेल को उक्त मुकदमें की विवेचना में अभियुक्त का सह अभियुक्तगण से फोन सम्पर्क होने की कॉल डिटेल दिनांक 01-01-2023 से दिनांक 23-10-2023 तक की दाखिल की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वाार सह अभियुक्तगण से पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण फोन पर लगातार सम्पर्क

पहले से ही रहा था। विवेचक द्वारा दिनांक 22–09–2023 से दिनाक 22–10–2023 तक दाखिल की गयी कॉल डिटेल में सह अभियुक्तगण से ज्यादा फोन सम्पर्क किसी से नहीं रहा है और जितना भी रहा है पारिवारिक रिश्तेदारी होने के कारण रहा है। विवेचक द्वारा अभियुक्त को कॉल डिटेल के आधार पर मुल्जिम मानते हुए अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया हैं। विवेचक द्वारा दर्शायी गयी घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज दिनांक 22–10–2023 समय 7.10 में सिर्फ एक कार का आना दर्शाया गया है। अभियुक्त का उक्त विवेचना के दौरान किसी सीसीटीवी फुटैज में या किसी चश्मदीद साक्षी के बयान में अभियुक्त घटना स्थल के आस पास उपस्थित होने का प्रमाण नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाए।

3– अभियुक्त सौरभ की ओर से प्रार्थनापत्र 21 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि अभियुक्त को उक्त केस में गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठा फंसाया गया है और विवेचक के द्वारा गलत तथ्यो व साक्ष्य के अभाव में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं हैं। अभियुक्त बतायी गयी घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। वादी मुकदमा व मृतक से अभियुक्त व अभियुक्त के परिजन से किसी प्रकार की लडाई झगडा रंजिश नहीं रही थी। अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस द्वारा थाने पर दो दिन तक बैठाकर पूछताछ की गयी थी किन्तु अभियुक्त के विरूद्व विवेचक को कोई साक्ष्य नहीं मिला फिर अनुचित मांग पूरी न होने के कारण उसे झूठा फंसा दियाउ गया है। वादी मुकदमा द्वारा विवेचक को दिये गये बयान दिनांक 23–10–2023 व मजीद बयान दिनांक 18–12–2023 में अभियुक्त का घटना में शामिल होने का कोई कथन नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा दिनांक 17–11–2023 को श्रीमती सुनीता जो वादी की पत्नी हैं, का बयान लगभग एक माह पश्चात दर्ज किया हैं, सुनीता को घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया हैं, ने अपने बयानो में अभियुक्त का घटना में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई कथन नहीं किया है। विवेचक द्वारा दिनांक 17–11–2023 को मृतक की पत्नी करूणा उर्फ कुंती का बयान लगभग एक माह पश्चात अंकित किया गया था तथा विवेचक द्वारा विवेचना में करूणा उर्फ कुंती को घटना स्थन पर घटना के समय उपस्थित होना दर्शाया हैं, किन्तु करूणा उर्फ कुंती के बयानो में कहीं भी अभियुक्त के विरूद्व घटना स्थल पर उपस्थित होने का कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। किसी सह अभियुक्तगण के द्वारा भी विवेचक को अभियुक्त के घटना में शामिल होने का कथन नहीं किया है। उपरोक्त अपराध में विवेचक के द्वारा अभियुक्त व अभियुक्त के गांव के कई निर्दोष बच्चो को जबरदस्ती फर्जी तरीके से जेल भेजने के कराण वादी मुकदमा द्वारा उच्चाधिकारियो को शिकायत की गयी जिस कारण उक्त अपराध की विवेचना थाना टीलामोड़ से थाना इन्दिरापुरम पर ट्रांसफर की गयी। विवेचक द्वारा सह अभियुक्त सन्नी के इकबालिया बयान में घटना से करीब दस दिन पूर्व एक थैले में रखा पिस्टल सचिन द्वारा मंगाये जाने का कथन अंकित कर अभियुक्त को फर्जी तरीके से बिना किसी साक्ष्य के झूठा फंसाया गया है। घटना से दस दिन पूर्व की घटना को

पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए विवेचक द्वारा अभियुक्त से अनुचित लाभ प्राप्त न होने के कारण उसे झूठा फंसा दिया गया हैं। अभियुक्त को सह अभियुक्तगण किंशू, सन्नी, नीतू उर्फ निरंजन के साथ पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया था किन्तु विवेचक को पैसो की डिमांड में अभियुक्त द्वारा विरोध दर्ज कराये जाने के कारण फर्जी घटना दिखाकर धारा 307 भा०द०सं० का आरोप लगाया गया है। विवेचक द्वारा सह अभियुक्तगण की कॉल डिटेल को उक्त मुकदमें की विवेचना में अभियुक्त का सह अभियुक्तगण से फोन सम्पर्क होने की कॉल डिटेल दिनांक 01-01-2023 से दिनांक 23-10-2023 तक की दाखिल की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वार सह अभियुक्तगण से पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण फोन पर लगातार सम्पर्क पहले से ही रहा था। विवेचक द्वारा दिनांक 22-09-2023 से दिनाक 22-10-2023 तक दाखिल की गयी कॉल डिटेल में सह अभियुक्तगण से ज्यादा फोन सम्पर्क किसी से नहीं रहा है और जितना भी रहा है पारिवारिक रिश्तेदारी होने के कारण रहा है। विवेचक द्वारा अभियुक्त को कॉल डिटेल के आधार पर मुल्जिम मानते हुए अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया हैं। विवेचक द्वारा दर्शायी गयी घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज दिनांक 22-10-2023 समय 7.10 में सिर्फ एक कार का आना दर्शाया गया है। अभियुक्त का उक्त विवेचना के दौरान किसी सीसीटीवी फुटैज में या किसी चश्मदीद साक्षी के बयान में अभियुक्त घटना स्थल के आस पास उपस्थित होने का प्रमाण नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाए।

4- अभियुक्तगण धर्मवीर, धर्मपाल, जितेन्द्र, सचिन एवं प्रवीन की ओर से प्रार्थनापत्र 29 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त केस में विवेचक के द्वारा जो साक्ष्य संकलन आरोपपत्र में किया है उनमें अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा कोई विधिक स्वीकार साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर आरोप का विरचन किया जा सके। घटना के चश्मदीद साक्षीगण की घटना स्थल पर मौजूदगी संदेहास्पद हैं। वादी मुकदमा एवं चश्मदीद साक्षीगण द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण की भूमिका दर्शित करते हुए जो घटना स्थल घटना घटित होने के सम्बन्ध में बताया है वहां पर घटना में कथित रूप से प्रयुक्त खोखा कारतूस की कोई बरामदगी नहीं हुयी है, जिससे कथित घटना स्थल जहां पर साक्षीगण, प्रार्थीगण अभियुक्तगण द्वारा घटना में शामिल होना बता रहे हैं, अभियोजन की कहानी को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेहास्पद बना रहा है। घटना के दो चश्मदीद साक्षी सुनीता एवं करूणा उर्फ कुंती जो मृतक के परिजन हैं, का बयान पुलिस द्वारा घटना में 25 दिन बाद अंकित किया गया हैं, जो महत्वहीन है। वादी मुकदमा एवं चश्मदीद साक्षीगण के बयानो में विरोधाभाष है तथा घटना का समय जो एफआईआर में अंकित किया गया हैं एवं जो गवाहो द्वारा बताया गया है, आपस में विरोधाभाषी है। अभियुक्तगण में अभियुक्त सचिन एवं प्रवीन को एफआईआर में नामित नहीं किया गया है। जबकि कथित घटना के काफी समय उपरान्त एफआईआर दर्ज करायी गयी है। जबकि कथित चश्मदीद गवाहो ने पुलिस को 25 दिन बाद दिये बयानो में अभियुक्त सचिन एवं प्रवीन की भूमिका बतायी है

जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण सचिन एवं प्रवीन के नाम बाद में गांव की पार्टीबाजी के कारण विशिष्ट भूमिका दर्शित करते हुए घटना के 25 दिन बाद झूठे लिखाये गये है। अभियुक्तगण में अभियुक्त धर्मवीर व धर्मपाल की उम्र 75 वर्ष के करीब हैं। अभियुक्त धर्मपाल के साथ उसके तीन पुत्रो सोनू उर्फ श्रद्धानन्द, हरिओम, शीतल उर्फ सुमित को भी उक्त केस में फंसा दिया गया है। कथित घटना के समय अभियुक्तगण मौके पर नहीं थे, जैसा दर्शाया गया है। अभियुक्त जितेन्द्र की उम्र करीब 60 वर्ष है तथा काफी समय से गुडगांव हरियाणा में निवास करता है, कोई रंजिश मृतक से नहीं थी। अभियुक्तगण के पास घटना में शामिल रहने का कोई मोटिव नहीं है। घटना का मोटिव, साक्ष्य संकलन में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल होने की ओर से इंगित नही कर रहा है। अभियुक्तगण में अभियुक्त धर्मवीर ग्राम महमूदर के मूल निवासी नहीं है तथा शेष सह अभियुक्तगण के घर परिवार में भी नहीं है। अभियुक्त धर्मवीर का कोई व्यक्तिगत लडाई झगडा रंजिश कभी भी मृतक से नहीं रहा। अभियुक्त धर्मवीर के पास उक्त घटना मे कथित रूप से शामिल रहने की बावत कोई मोटिव होना दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन में स्पष्ट नहीं किया हैं और न हीद यह स्पष्ट किया है कि शेष अभियुक्तगण किस मोटिव में साथ कथित रूप से घटना में शामिल हुए। अभियुक्तगण के विरूद्ध जो साक्ष्य संकलन विवेचक द्वारा किया गया हैं, उनके आधार पर कोई प्रथम दृष्टया मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं बन रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाए।

5– अभियुक्त कपिल कसाना की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया कि घटना निरजन स्थान की है। वादी मुकदमा का अभियुक्त के साथ होने का कथन तहरीर में नहीं है। घटना स्थल पर लाइट का कोई स्रोत नहीं है। घटना वाले दिन चन्द्रमा की रोशनी भी नहीं थी। अतः साक्षीगण अभियुक्तगण को पहचान नहीं सकते थे। वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर में मोबाईल नम्बर दर्शित किया है। मोबाईल होने के बावजूद पुलिस को सूचना घटना के 6 घंटे बाद दी गयी। घटना किस उद्देश्य से कारित की गयी हैं, यह तहरीर में वर्णित नही है। तहरीर को सोच समझ करके लिखा गया हैं। अभियुक्त के पूरे परिवार का नाम इसमें डाला गया है। मौके पर रोशनी की व्यवस्था नहीं थी इसलिये पंचायतनामा में यह लिखा गया है कि रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण पंचायतनामा नहीं किया जा सकता। सीडी के पर्चा सं० 19 से विदित होता है कि घटना के चश्मदीद गवाहो का बयान 25–26 दिन बाद लिया गया है। अभियुक्त कपिल प्रधान पति हैं। घटना की सूचना की मिलने के बाद उसने स्वयं पुलिस को सूचित किया था। दरोगा ने कपिल, प्रवीन व सौरभ का सीडीआर लिया है जिसके अनुसार घटना के समय अभियुकत कपिल का मोबाईल घटना स्थल के पास होना दर्शित नहीं है। अभियुक्त को 120बी भा०द.सं० में अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं है। इस अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप से उन्मोचित किया जाए।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण

ने मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के तहत वादी के भाई प्रमोद कसाना की गोली मारकर हत्या की गयी हैं। घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी है जिन्होने घटना देखी है और साक्ष्य दिया है। अभियुक्तगण जो कथन कर रहे हैं वह अपने प्रतिरक्षा में कह रहे हैं। अभी अभियोजन को साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा इस स्तर पर नहीं देखी जा सकती है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक के द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया गया हैं। अभियुक्तगण मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र दे रहे हैं। जबकि पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश शीघ्र निस्तारण हेतु संलग्न है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाए।

7– मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

8– उपरोक्त अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया है कि घटना के समय कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपस्थित नहीं था। घटना के लगभग 6 घंटे विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त प्रवीन व सचिन का नाम एफआईआर में नहीं है। मौके पर कई गोली चलने का कथन है, लेकिन कोई खोखा कारतूस बरामद नहीं है। सभी अभियुक्तो की भूमिका स्पष्ट नहीं है। कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियो के बयान घटना के करीब एक माह बाद लिये गये हैं। जिन्होने सोच समझकर अभियुक्तगण का नाम लिया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप नहीं बनता हैं।

9– अभियोजन एवं वादी मुकदमा की ओर से यह कथन आया है कि पुलिस ने मौके से बहुत सारे जूते चप्पल आदि एकत्र किये थे जो भगदड के कारण छूट गये थे इससे विदित होता है कि मौके पर लोग उपस्थित थे। साक्षियो ने अभियुक्तगण के विरूद्ध बयान दिया है। अभी अभियोजन को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अभियुक्त्गण के द्वारा जो कथन किये जा रहे है वह साक्ष्य के उपरान्त ही स्पष्ट किये जा सकेगें। अभियोग दैनिकी में एकत्र साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का साक्ष्य पर्याप्त है।

10– अभियोग दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल 9 नामजद व तीन अज्ञात व्यक्तियो के नाम हैं जिसमें अभियुक्त प्रवीन, सचिन व किंसू का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया। इनके विरूद्ध भी आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोग दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक ने साक्षियो के बयान लिये है जिसमें पर्चा सं० 19 में गवाह सुनीता व करूणा उर्फ कुंती का बयान दर्ज किया गया है जिन्होने यह कथन किया है कि हमने कपिल पुत्र धर्मसिंह, सचिन पुत्र टेकराम, प्रवीन पुत्र जसराम उर्फ जिस्सी प्रमोद पर गोलियां चला रहे थे जितेन्द्र पुत्र धर्मसिंह, धर्मपाल पुत्र राजाराम, धर्मवीर पुत्र हरचंदी ने मेरे जेठ को पकड रखा था, बाकी लोग मेरे पति को घेर रहे थे। इसी प्रकार सीडी संख्या 21 पर साक्षी सुभाष पुत्र छिंदा सिंह, प्रदीप पुत्र खुशीराम का बयान आया है कि प्रमोद की हत्या के पांच छः दिन पूर्व जब वह एलएमसी की भूमि के बगल से जा रहे थे तो उन्होने देखा कि प्रधान पति कपिल व अन्य अभियुक्तगण

बातचीत कर रहे थे और प्रमोद उर्फ लालू को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। विवेचक ने जो साक्ष्य एकत्र किया है उसमें घटना के कई साक्षियो का साक्ष्य दर्शित किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण का नाम आया है।

11– अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के साक्षियो ने साक्ष्य दिया हैं। इनमें से कुछ अभियुक्तगण के निशानदेही पर बरामदगी हुयी है। कुछ साक्षियो का बयान घटना के लगभग एक माह बाद लेने का कथन किया गया है। इस सम्बन्ध में विवेचक के उपस्थित होने पर जानकारी की जा सकती हैं। इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि यह साक्षी जानबूझकर इतने विलम्ब से गवाही दे रहे थे। घटना स्थल पर प्रकाश न होने का कथन किया गया हैं, लेकिन निरीक्षण घटना स्थल में मौके पर बिजली का खम्बा दर्शित किया गया हैं। अभियोग दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त कपिल कसाना को मुख्य षडयंत्रकर्ता दर्शित किया गया है। अभियुक्त किंसू उर्फ अमूल को रेकी करने की भूमिका बतायी गयी है। अभियुक्त सौरभ के पास से शस्त्र की बरामदगी भी दिखाई गयी हैं। इसी प्रकार अभियुक्त प्रवीन के पास से शस्त्र की बरामदगी दिखाई गयी हैं। अभियुक्त धर्मवीर के द्वारा भी जमानत एवं केस में खर्च होने वाले पैसे की जिम्मेदारी लेने के सम्बन्ध में कथन आया हैं। इन्हें पूर्व से ही हत्या की योजना की जानकारी थी।

12– अभियुक्त कपिल की ओर से मुख्यतः यह कथन किया गया हैं कि वह मौके पर उपस्थित नहीं था यह उसकी मोबाईल की सीडीआर से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य उसकी अनुपस्थिति का प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः मात्र सीडीआर के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि यह अभियुक्त मौके पर नहीं था।

13– अभियुक्तगण के द्वारा अन्य जो आपत्तियां उठायी गयी हैं वह सभी साक्ष्य से सम्बन्धित हैं। अभी तक आरोप विरचित नहीं हुए हैं और अभियोजन को साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण को गलत तरीके से फंसाया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत आपतियों में कोई बल नहीं पाया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा की गयी मौखिक व लिखित आपत्तियां स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 20 ख, 21 ख व 29 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 20 ख, 21 ख एवं 29 ख निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन हेतु दिनांक ....को पेश हो। अभियुक्तगण सचिन, प्रवीन, परवीण, कपिल कसाना नियत तिथि को कारागार से तलब हो और शेष अभियुक्तगण नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6
गाजियाबाद।

Digitally signed by INDU DWIVEDI
Date: 2024.09.18 18:35:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court